<u>विज्ञप्ति</u>

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक सं018351/एडमिन ''जी–I''/2019, इलाहाबाद दिनांकित 16.12.2019 के अनुपालन में परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 102/सात–न्याय–2–2015–728/86, दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्नलिखित अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1– अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता में उसके पास समाजशास्त्र या मनोवैज्ञानिकी में किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री तथा समाज सेवा का अनुभव हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जाएगी।

2– अभ्यर्थी की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक पर 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।

3– नियुक्त किए गए परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

4– परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वह न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

5– नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के पद पर आबद्धता हेतु इच्छुक पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी अपने–अपने आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित **दिनांक 20–12–2019 तक प्रशासनिक कार्यालय जिला जजी, बलिया में अनिवार्य रूप से शाम पांच बजे तक उपलब्ध करा दें।** इसके पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दिनांक–17.12.2019

(सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, जिला जजी,
बलिया (उ0प्र0)।

Family Court Ballia

उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 (26) 1 के तहत

आवेदन–पत्र

आवेदित पद का नाम– परामर्शदाता (परिवार/कुटुम्ब न्यायालय) बलिया

अभ्यर्थी का नाम – .....

अभ्यर्थी के पिता का नाम – .....

अभ्यर्थी की माता का नाम – .....

जन्मतिथि (अंको में) – .....

(शब्दो में) – .....

पासपोर्ट साईज फोटो

वर्तमान निवास पता– .....

.....

स्थाई निवास पता– .....

.....

मोबाईल नम्बर– .....

शैक्षिक योग्यता का विवरण –

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परिणाम/श्रेणी	सम्बन्धित विषय

व्यावसायिक योग्यता – .....

अनुभव – .....

.....

Family Court Ballia

घोषणा

मैं (आवेदक) .....उपरोक्त सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण सही हैं, कोई तथ्य गलत अंकित नहीं है और किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई तथ्य गलत पाया जाए तो मेरी नियुक्ति के बाद भी मेरी संविदा भंग करने का अधिकार माननीय न्यायालय को होगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थानः ....

दिनांकः ..... हस्ताक्षर आवेदक

संलग्नक–